

आदेश की क्रम सं०
और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित
3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.- 16 of 2018

Dist.:-Patna

**PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.**

Sri Adrash Baibhav

Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar

Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner :

For the OP :

ORDER

04.10.2018

प्रस्तुत सेवा अपील वाद सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक- 6047 दिनांक- 11.05.2018 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है।

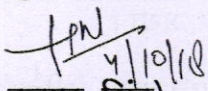
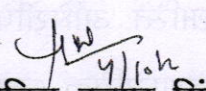
श्री आदर्श वैभव, तत्कालीन सहायक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 477 दिनांक- 25.02.2015 द्वारा प्रपत्र- 'क' में निदेशक, उच्च शिक्षा के साथ अभद्र एवं अव्यवहारिक व्यवहार संबंधी अनुशासनहीनता से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त प्रतिवेदित आरोप एवं साक्ष्य अभिलेख विभागीय ज्ञापन सं०- 3759 दिनांक- 25.02.2015 द्वारा आरोपी श्री वैभव को उपलब्ध करायी गयी एवं उनसे इस संबंध

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख 3
	में बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गई। तदनुसार श्री वैभव का बचाव अभिकथन दिनांक- 13.03.2015 को प्राप्त हुआ, जिसमें आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया। श्री वैभव के बचाव अभिकथन पर विभागीय पत्रांक- 5485 दिनांक- 10.04.2015 द्वारा प्रशासी विभाग से मंतव्य मांगा गया। तदनुसार बचाव अभिकथन पर प्रशासी विभाग का मंतव्य शिक्षा विभाग के पत्रांक- 1166 दिनांक- 11.06.2015 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें श्री वैभव व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं होने तथा इस आचरण के लिए चेतावनी देकर सचेत रहने का दंड देने की अनुशंसा की गई। श्री वैभव के बचाव अभिकथन पर प्रशासी विभाग के मंतव्य के क्रम में इसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। चूंकि आरोपित सहायक द्वारा आरोपों को अस्वीकार किया गया, अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा आरोपों की विस्तृत जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री आदर्श वैभव, तत्कालीन सहायक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सं०- 2333 दिनांक- 27.02.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी श्री शिवशंकर मिश्र, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना का जाँच प्रतिवेदन उनके पत्रांक- 155/एस/एसएसएम दिनांक- 26.02.2018 द्वारा प्राप्त हुआ जिसमें श्री आदर्श वैभव के विरुद्ध आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(3) संगत प्रावधान के आलोक में जाँच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक- 3841 दिनांक- 20.03.2018 द्वारा श्री	

Handwritten signature
5/11/18

की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	वैभव को उपलब्ध कराते हुए उन्हें जाँच प्रतिवेदन पर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। श्री वैभव का अभ्यावेदन दिनांक- 02.04.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें प्रमाणित आरोप के संदर्भ में उनके द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई कि उनके द्वारा अनुशासनहीनता एवं अव्यवहारिक आचरण नहीं किया गया है बल्कि कतिपय वैज्ञानिक कारणों के चलते ऐसा प्रतीत हुआ। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की समीक्षा में यह पाया गया कि श्री आदर्श वैभव इस मामले में अनुशासनहीनता एवं अव्यवहारिक आचरण के लिए उत्तरदायी है एवं उनकी इस चूक के लिए 'चेतावनी' की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णयानुसार श्री आदर्श वैभव, तत्कालीन सहायक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को उपर्युक्त चूक के लिए 'चेतावनी' की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गई। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि "श्री एस0एस0 करीम, निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग को समर्पित पीत-पत्र में डॉ० शिवेश रंजन, विशेष कार्य पदाधिकारी, उच्च शिक्षा एवं श्री रंजीत कुमार सिंह, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के सामने कम्प्यूटर के लिए उनके साथ श्री आदर्श वैभव द्वारा अभद्र एवं अव्यवहारिक व्यवहार करने का उल्लेख किया गया है। श्री शिवेश रंजन, विशेष कार्य पदाधिकारी, उच्च शिक्षा एवं श्री रंजीत सिंह, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा को पत्रांक- 148 दिनांक- 15.02.2018 द्वारा उपरोक्त दोनों कर्मियों को उनके कार्यालय कक्ष में 22.02.2018 को उपस्थित होने के लिए पत्र दिया गया। श्री शिवेश रंजन, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं श्री रंजीत सिंह, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर दिनांक- 22.02.2018	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	को उपस्थित होकर लिखित प्रतिवेदन दिये हैं कि उस दिन श्री वैभव द्वारा इय तरह का कोई अशोभनीय व्यवहार उनके समक्ष नहीं किया गया था। यद्यपि उनकी आवाज थोड़ी उँची थी।” सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिया गया दंड सही नहीं है। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक- 6047 दिनांक- 11.05.2018 द्वारा अधिरोपित दंड को निरस्त किया जाता है। अपील स्वीकृत किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।	